

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम  
श्रेणी बैहर, बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 427/04

संस्थित दिनांक 25.05.2004

फा.नंबर-234503000032004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र  
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोजन ।

विरुद्ध

1. प्रदीप पिता दयालसिंह, उम्र-35 साल,  
निवासी प्रधानी मोहल्ला, बैहर,
2. सरदार खों पिता हबीब खों, उम्र-40 साल,  
निवासी चालिस मकान बैहर थाना बैहर,
3. राकेश पिता मुन्नालाल मरकाम, उम्र-19 साल,  
निवासी बारापत्थर, बैहर थाना बैहर,
4. दुर्गेश उर्फ बिल्लू पिता कमलदास पनिका, उम्र-19 साल,  
निवासी बारापत्थर, बैहर थाना बैहर जिला-बालाघाट म0प्र0 ।

.....अभियुक्तगण ।

-----  
--:: निर्णय ::--

--::दिनांक 05.08.2017 को घोषित::--

**01-** आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34, 286 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 27.03.2004 को समय 2:00 बजे रात्रि ग्राम बैहर भाटिया ऑटो मोबाईल थाना अंतर्गत बैहर में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी अजीत सिंह की अनुमति के बिना पेट्रोल पंप से बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से पेट्रोल पम्प की डुप्लीकेट चॉबी से खोलकर और पेट्रोल पम्प चलाकर जरीकेनों को भरकर 300 लीटर पेट्रोल कीमती 11,000/- रुपये हटाकर चोरी की तथा ज्वलनशील पेट्रोल को उपेक्षित रूप से जरीकेनों में भरकर उपेक्षा कर, जिससे मानव जीवन संकटापन्न किया ।

**02-** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अजीत सिंह ने दिनांक 27.03.2004 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 26.03.2004 की रात्रि में पेट्रोल पम्प के सामने अपने कमरे में आकर सोया था, तभी लगभग 2:00 बजे उसे पेट्रोल पंप में हलचल सुनाई दी, तब वह कमरे से बाहर निकलकर देखा तो चौकीदार सरदार खों पेट्रोल पंप पर

राकेश मरकाम, बिल्लु उर्फ दुर्गेश पनिका को पेट्रोल पंप पर उनकी जरीकेन में पेट्रोल भरकर दे रहा था। वह दौड़कर पेट्रोल पंप पहुँचा तो तीनो उसे देखकर तीन जरीकेन हाथ में लेकर वीजन बिड़ीया हॉल की तरफ भाग गये और एक पेट्रोल भरी जरीकेन पेट्रोल पंप घुमान का हैंडल वे ताले की डुप्लीकेट चाँबी वहीं छोड़ दिये थे। रात में पेट्रोल पंप की सोडियम लाईट जल रही थी, जिसकी रोशनी में उसने उन तीनों को पहचान लिया था और जब उसने पेट्रोल पंप की रिडिंग मिलाई तो लगभग 300 लीटर पेट्रोल कम मिला। तीनों के साथ प्रदीप बैस जिसके हाथ में भी पेट्रोल की एक जरीकेन थी, वह भी दीवार किनारे से भागते हुए दिखाई दिया। वह आरोपीगण को अच्छी तरह से पहचानता है। उक्त आरोपीगण ने मिलकर पेट्रोल पंप में 300 लीटर पेट्रोल की चोरी की है। उक्त रिपोर्ट पर थाना बैहर में अपराध क्रमांक 55/04 धारा-379, 34, 286 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी-नक्शा बनाया गया। प्रार्थी अजीतसिंह एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गए। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र 77/04 तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**03—** अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध किया जाना अस्वीकार किया है। अभियुक्तगण का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रकट किये गये तथ्य एवं परिस्थितियों को अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण कथन अंतर्गत धारा 313 जा0फौ0 में अस्वीकार किया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 27.03.2004 को समय 2:00 बजे रात्रि ग्राम बैहर भाटिया ऑटो मोबाईल थाना अंतर्गत बैहर में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी अजीत सिंह की अनुमति के बिना पेट्रोल पंप से बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से पेट्रोल पम्प की डुप्लीकेट चाँबी से खोलकर और पेट्रोल पम्प चलाकर जरीकेनों को भरकर 300 लीटर पेट्रोल कीमति 11,000/— रुपये हटाकर चोरी की ?

2. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ज्वलनशील पेट्रोल को उपेक्षित रूप से जरीकेनों में भरकर उपेक्षा कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

**—:सकारण निष्कर्ष:—**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02**

उक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

**05—** साक्षी खेलनदास(अ.सा.—01) ने कहा है कि वह आरोपीगण सरदार खान एवं प्रदीप बैस को जानता है और राकेश एवं दुर्गेश को नहीं जानता है। घटना उसके साक्ष्य तिथि से करीब तीन-चार साल पुरानी है। वह भाटिया पेट्रोल पंप में 09:30 बजे अपनी ड्यूटी कर अपने घर चला गया था। जब वह सुबह दूसरे दिन 09:30 बजे पेट्रोल पंप गया तो उसे जानकारी मिली कि सरदार पेट्रोल पंप से चोरी कर रहा था। इसके अतिरिक्त उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष कोई मेमोरेन्डम कथन, जप्ती की कार्यवाही तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की गई थी। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि रात्रि लगभग ढाई बजे अजीत भाटिया और इमरान खान घर आकर बताये कि 2:00 बजे पेट्रोल पंप में हलचल सुनाई दी और वहाँ चलकर देखने पर पाया कि वहाँ सरदार खान पेट्रोल पंप पर आरोपीगण को निकालकर जरीकेन में भर रहा था तथा तीनों आरोपीगण विडीयो हॉल की तरफ भाग गये, उसे डुप्लीकेट चॉबी के बारे में किसी ने बताया था, उसे अजीत और इमरान ने यह बताया था कि पेट्रोल पंप की रोशनी में उन्होंने आरोपीगण को पहचान लिया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्र.पी.01 का कथन दिया था और आरोपीगण ने उसके समक्ष मेमोरेन्डम पत्रक प्र.पी.02 लगायत प्र.पी.05 के ए से ए भाग के कथन दिये थे।

**06—** साक्षी खेलनदास(अ.सा.—01) ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया कि मेमोरेन्डम पत्रक प्र.पी.02 लगायत प्र.पी.05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह अस्वीकार किया कि

उसके समक्ष आरोपी प्रदीप बैस से हरे-पीले रंग की जरीकेन, आरोपी सरदार से पीले रंग की जरीकेन, आरोपी राकेश से हरे रंग की जरीकेन तथा आरोपी दुर्गेश से काले रंग की जरीकेन से पेट्रोल जप्त किया गया था। यह अस्वीकार किया कि घटनास्थल से उसके समक्ष जरीकेन, हैंडल, डुप्लीकेट चाँबी तथा ताला जप्त किया गया था। यह स्वीकार किया कि जप्ती पत्रक प्र.पी.06 लगायत प्र.पी.10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 लगायत प्र.पी.14 उसके समक्ष तैयार किया गया था। यह स्वीकार किया कि उसके गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 लगायत प्र.पी.14 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। यह अस्वीकार किया कि उसके आरोपीगण से अच्छे संबंध हैं, इसलिये उन्हें बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा हूँ। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि उसने अपने हस्ताक्षर पुलिस थाना बैहर में पुलिस के कहने पर किये थे। पेट्रोल पंप वाले उसके साथ गये थे और उन्होंने हस्ताक्षर करने कहा था तो उसने हस्ताक्षर कर दिया था।

**07—** ईमरान अली (अ0सा0-02) ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष दो-तीन केन (डिब्बे) में पेट्रोल जप्त किया गया था तथा उसके समक्ष पुलिस ने जप्ती कार्यवाही कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 लगायत प्र.पी.10 तैयार किया गया था जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्र.पी.06 लगायत प्र.पी.10 की जप्ती प्रदीप बैस के वीडियो हॉल से जप्त की गयी थी। उसके समक्ष प्रदीप एवं सरदार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 एवं प्र.पी.14 बनाया गया था जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि दिनांक 23.03.2004 को रात्रि ढाई बजे अजीत भाटिया घर आकर बताया कि वह पेट्रोल पंप के सामने कमरे पर सोया था तभी लगभग 2:00 बजे पेट्रोल पंप पर हलचल सुनाई दी और बाहर निकलकर देखने पर चौकीदार सरदार खान पेट्रोल पंप पर राकेश, दुर्गेश को पेट्रोल निकालकर जरीकेन में भर रहा था और जब वह दौड़कर पेट्रोल पंप गया तो पेट्रोल की तीनों जरीकेन लेकर वीडियो हॉल की तरफ भाग गये, तीनों के साथ में प्रदीप बैस भी था और उसने सोडियम की लाईट में चारो



लोगों को पहचान लिया था तथा वह पेट्रोल पंप आया और देखा तो पेट्रोल भरने का जनरेटर एवं डुप्लीकेट चॉबी पड़ी थी।

**08—** ईमरान अली (अ0सा0-02) ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया कि दिनांक 28.03.2004 को प्रदीप, भाटिया के साथ रिपोर्ट करने गया था और पेट्रोल रिडिंग करने पर उसने 300 लीटर किमती ग्यारह हजार रुपये कम पाया था। यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस कथन प्र.पी.15 पुलिस को दिया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसके समक्ष मेमोरेन्डम पत्रक प्र.पी.02 लगायत प्र.पी. 05 के ए से ए भाग के कथन दिये थे। मेमोरेन्डम पत्रक प्र.पी.02 लगायत प्र. पी.05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह अस्वीकार किया कि उसके समक्ष आरोपी प्रदीप बैस से उसके घर पर 15 लीटर पेट्रोल प्र.पी.06 के अनुसार हुई थी। साक्षी के अनुसार वीडियो हॉल से जप्त हुई थी। यह अस्वीकार किया कि आरोपी सरदार उसके घर पर 15 लीटर पेट्रोल प्र.पी.07 के अनुसार पीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन, आरोपी राकेश से 5-5 लीटर की तीन हरे रंग की पेट्रोल से भरी जरीकेन प्र.पी.08 के अनुसार तथा आरोपी दुर्गेश से काले रंग की जरीकेन में 20 लीटर पेट्रोल जप्त किया गया था। यह अस्वीकार किया कि घटनास्थल से उसके समक्ष जरीकेन, हेंडल, डुप्लीकेट चॉबी तथा ताला जप्त किया गया था। यह अस्वीकार किया कि जप्ती पत्रक प्र.पी.10 के अनुसार उसके समक्ष घटनास्थल से कोई वस्तु जप्त की गई थी। यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण राकेश तथा दुर्गेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.12 प्र.पी.13 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह अस्वीकार किया कि उसके आरोपीगण से अच्छे संबंध हैं, इसलिये उन्हें बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा हूँ। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदीप बैस उसके मोहल्ले का है इसलिये वह उसे जानता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी तथा घटना के रात अजीत भाटिया ने आकर उसे कुछ नहीं बताया था और 300 लीटर पेट्रोल की कमी पाई गई थी वह उन्होंने पूर्व रिडिंग के आधार पर प्राप्त की थी जिसे रजिस्टर में नोट की थी तथा पुलिसवालों ने उक्त रजिस्टर या उसकी कापी को जप्त नहीं किया था।

**09—** साक्षी पी.आर.बरकड़े (अ0सा0-04) ने कहा है कि उसके द्वारा थाना प्रभारी बैहर के अनुरोध पर अपराध क्रमांक 55/04 जप्तशुदा पेट्रोलियम का परीक्षण किया गया था। परीक्षण पर उसने जप्तशुदा पदार्थ पेट्रोलियम जैसा पाया था जिसका घनत्व 0.7263 था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.18 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अपने शैक्षणिक योग्यता में पेट्रोलियम पदार्थ का कोई डिप्लोमा कोर्स अलग से नहीं किया है तथा उसने परीक्षण कितनी मात्रा का किया था, उसका उसकी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। वह उस समय पर निश्चित रूप से नहीं था कि पेट्रोलियम जप्तशुदा पदार्थ है। नहीं है। साक्षी के अनुसार घनत्व के आधार पर उसने बताया था कि पेट्रोलियम पदार्थ है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने कैमिकल परीक्षण में घनत्व निकाला था। वह पेट्रोल का नाकिंग पाइंट नहीं समझता है। उसे अलग-अलग नमूने नहीं दिये गये थे, जिसमें कि पेट्रोल पंप का एक हो। उसे ध्यान नहीं है कि पेट्रोल पंप जांच करने के लिये दो किस्म का उसे मिला हो। वह बी.एस.सी. फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स से पास है।

**10—** साक्षी दिलीप पंचेश्वर (अ0सा0-03) ने कहा है कि वह दिनांक 28.03.04 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी अजीत सिंह की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 379, 34 भा.दं0स0 के अंतर्गत लेख की गयी थी जो प्र.पी.16 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रार्थी अजीत सिंह की निशांदाही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.17 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी अजीतसिंह, साक्षी खेलन, ईमरान अली के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। उक्त दिनांक को ही आरोपी दुर्गेश को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र.पी.03 का कथन उसके बताये अनुसार लेख किया था, जिसमें उसने बताया था कि वह मेमोरेण्डम देखकर पढ़कर बता सकता है। उसने दिनांक 27.03.04 को रात्रि 02:00 बजे अन्य आरोपीगण के साथ चोरी किया गया पेट्रोल उसके हिस्से में आये 20 लीटर पेट्रोल को अपने घर के

पाटन पर छुपाकर रखना बताया था। मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 के डी से डी भाग पर उसके एवं ई से ई भाग पर आरोपी दुर्गेश के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी राकेश मरकाम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, पूछताछ करने पर उसने अपना प्र.पी.4 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने दिनांक 27.03.04 को रात्रि 02:00 बजे अन्य आरोपीगण के साथ चोरी कर अपने हिस्से में आये 15 लीटर पेट्रोल तीन जरीकेन में बाड़ी में छिपाकर रखना बताया था। मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.04 के डी से डी भाग पर उसके एवं ई से ई भाग पर आरोपी राकेश मरकाम के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी सरदार खान को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्र.पी.5 का कथन उसके बताये अनुसार लेख किया था, जिसमें उसने बताया था कि दिनांक 27.03.04 को रात्रि 02:00 बजे अन्य आरोपीगण के साथ चोरी कर अपने हिस्से में आये 15 लीटर पेट्रोल को एक जरीकेन में अपने घर की बाड़ी पर छिपाकर रखना बताया था। मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.05 के डी से डी भाग पर उसके एवं ई से ई भाग पर आरोपी सरदार खान के हस्ताक्षर है।

**11—** साक्षी दिलीप पंचेश्वर (अ0सा0—03) के अनुसार दिनांक 28.03.04 को आरोपी दुर्गेश के घर से जप्ती पत्रक प्र.पी.09 के अनुसार बीस लीटर जरीकेन में भरा हुआ पेट्रोल जसाक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी दुर्गेश के हस्ताक्षर है। आरोपी राकेश मरकाम से जप्ती पत्रक प्र.पी.08 के अनुसार तीन जरीकेन पांच-पांच लीटर के आरोपी के द्वारा घर की बाड़ी से निकाल कर देने पर जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। आरोपी सरदार खान द्वारा अपने घर से 15 लीटर पेट्रोल जरीकेन में भरा हुआ निकालकर देने पर साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जो प्र.पी.07 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.12 लगायत प्र.पी.14 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर है। आरोपी प्रदीप को अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूछताछ करने पर उसने उसे प्र.पी.02 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिसमें उसने बताया था

कि उसने अनय आरोपीगण के साथ चोरी किया था। पेट्रोल उसके हिस्से में आये 15 लीटर पेट्रोल को अपने वीडियो हॉल में छिपाकर रखना बताया था। मेमोरेन्डम कथन प्र.पी02 के डी से डी भाग पर उसके एवं ई से ई भाग पर आरोपी प्रदीप के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को आरोपी प्रदीप से 15 लीटर पेट्रोल जरीकेन में भरा हुआ जप्ती पत्रक प्र.पी.06 के अनुसार जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा घटनास्थल से जप्ती पत्रक प्र.पी.10 के अनुसार जप्ती की गयी थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा पदार्थ का कनिष्ठ अधिकारी बैहर से जांच कराकर प्रमाण पत्र लगाया था।

**12—** साक्षी दिलीप पंचेश्वर (अ0सा0-03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि साक्षी ईमराज और खेलनसिंह के समक्ष घटनास्थल से उसने पेट्रोल पंप में पड़ा हुआ सामान जप्ती पत्रक प्र.पी10 के अनुसार जप्त किया था, जहाँ से 18 लीटर जरीकेन में पेट्रोल, एक पेट्रोल निकालने का हैंडल और डुप्लीकेट चॉबी जप्ती पत्रक प्र.पी.10 के अनुसार जप्त किया था। वह आज नहीं बता सकता कि उक्त पेट्रोल पंप रात के कितने बजे तक खुला रहता था। यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा घटनास्थल से 14:30 बजे जप्ती की कार्यवाही गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि आरोपी राकेश और सरदार खॉ से उसके समक्ष कोई सामग्री जप्त नहीं की गई थी, आरोपी राकेश और सरदार खॉ ने उसे कोई मेमोरेन्डम कथन नहीं दिया था, उक्त दोनों आरोपीगण से उसके द्वारा कोई सामान जप्त नहीं किया गया था, उसे प्रार्थी अजीत सिंह एवं साक्षी ईमरान ने कोई कथन नहीं दिये थे, उसके द्वारा उनके समक्ष कोई सामान जप्त नहीं किया गया था, उसके द्वारा घटनास्थल का नजरी-नक्शा थाने में बैठकर बना लिया गया था, तीन सौ लीटर पेट्रोल आरोपीगण ने कहाँ से लाकर रखा था वह नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा पेट्रोल पंप में रखा जाने वाला स्टॉक रजिस्टर जप्त नहीं किया गया था, उसके द्वारा विवेचना में कितना पेट्रोल बेचा गया था और कितना शेष था, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह अस्वीकार किया कि स्टॉक की



जानकारी नहीं होने पर वह नहीं बता सकता कि जप्तशुदा पेट्रोल किसका था, आरोपी दुर्गेश ने साक्षियों के समक्ष कोई मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 नहीं दिया था तथा आरोपी दुर्गेश से जप्ती पत्रक प्र.पी.09 अनुसार साक्षियों के समक्ष पेट्रोल जप्त नहीं किया गया था।

**13—** साक्षी दिलीप पंचेश्वर (अ0सा0-03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि वह बैहर में दो साल प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहा है। यह स्वीकार किया कि घटना के समय बैहर में एक ही पेट्रोल पंप था, पेट्रोल जब रिजर्व स्टॉक में आ जाता है तब वह पेट्रोल स्टॉक होने की सूचना एस.डी.एम. बैहर, पुलिस थाना बैहर को देते हैं, उक्त सूचना देना भी जरूरी है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पेट्रोल पंप खुलने और बंद होने की जानकारी उसे आज याद नहीं है तथा विवेचना के दौरान भी उसे पेट्रोल पंप खोलने और बंद होने की जानकारी न होने के कारण विवेचना में उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पेट्रोल मालिक से रात को जब पेट्रोल पंप बंद होते समय कितना पेट्रोल था वह तथ्य उसने उसके बयान में नहीं लिया और उसने पेट्रोल पंप मालिक से कितना पेट्रोल स्टॉक में से घटना के बाद में कम था बयान में नहीं लिया। साक्षी के अनुसार तीन सौ लीटर कम की बात लेख है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि उसके द्वारा आरोपी प्रदीप बैस का मेमोरेन्डम साक्षी ईमराज अली एवं खेलन के समक्ष बनाया गया था। यह अस्वीकार किया कि उक्त साक्षियों की के समक्ष उसके द्वारा मेमोरेन्डम कथन लेख नहीं किया गया था, यदि साक्षी न्यायालयीन कथन में आरोपी से उसके समक्ष पूछताछ होने की बात नहीं बताते हैं, तो वे झूठ बोल रहे हैं। साक्षी जप्ती को अस्वीकार कर रहे हैं तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया कि साधारण रूप से जप्तशुदा पेट्रोल 5 से 10 लीटर लोगों के पास आसानी से रखा हुआ मिल जाता है। उसे आज याद नहीं है कि वीडियो हॉल में जनरेटर था या नहीं। यह स्वीकार किया कि उसने जप्ती वाला स्थान का नजरी-नक्शा नहीं बनाया तथा उसने जप्ती वाले स्थान का आसपास के लोगों को गवाह नहीं बनाया। यह अस्वीकार किया कि मालिक की जगह एजेंट के कथन जो पेट्रोल पंप संभालता था के कथन लेख नहीं किये गये थे। साक्षी के अनुसार प्रार्थी ही एजेंट था। यह स्वीकार किया कि एजेंट

से स्टॉक के संबंध में जानकारी नहीं ली गई थी। उक्त पेट्रोल पंप का इंचार्ज अजीत सिंह था। अजीत सिंह बैहर में ही रहता था। यह अस्वीकार किया कि दिनांक 28.03.2004 को दो बजे लोगों का आना-जाना था। साक्षी के अनुसार उस दिन पेट्रोल पंप बंद था।

**14—** प्रकरण में अभियोजन द्वारा मुख्य साक्षी तथा परिवादी अजीत सिंह की साक्ष्य नहीं कराई गई तथा मेमोरेन्डम एवं जप्ती के दोनों साक्षी पक्षद्रोही रहे हैं। उक्त भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु सर्वप्रथम व्यक्ति के आधिपत्य में संपत्ति की चोरी सिद्ध करना आवश्यक है। अभियुक्तगण पर पेट्रोल पंप से 300 लीटर पेट्रोल चोरी करने का आरोप है। जबकि अभियुक्तगण से जप्ती करीब 65 लीटर पेट्रोल की दर्शाई गई है। शेष मात्रा के संबंध में प्रकरण में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। घटना रात्रि 2:00 बजे की होन के पश्चात सुबह 10 बजे घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना दर्शित है। तत्पश्चात कुछ घंटों में अभियुक्तगण के बताये अनुसार सामग्री जप्त करना विवेचक के द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रकरण में पेट्रोल पंप से स्टॉक रजिस्टर नहीं किया गया है और ना ही इस संबंध में कोई सत्यापन है कि वास्तव में वहाँ कितनी कमी पाई गई थी। साक्षी इमरान अली अ.सा.02 ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह व्यक्त किया कि रिडींग करने पर 300 लीटर पेट्रोल कम पाया गया तथा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उक्त कमी पूर्व रिडींग के आधार पर ज्ञात की गई, जो कि रजिस्टर में नोट थी, परंतु पुलिस वालों ने उक्त रजिस्टर को जप्त नहीं किया। उक्त तथ्य को दिलीप पंचेश्वर अ.सा.03 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने कमी की पुष्टि के संबंध में पेट्रोल पंप मालिक के कथन नहीं लिये। उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रकरण में परिवादी से कथित सामग्री की चोरी होना प्रमाणित नहीं है।

**15—** घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.16 दिनांक 28.03.2004 को 10:15 बजे लेख की गई है। आरोपी प्रदीप बैस को छोड़कर शेष आरोपीगण की मेमोरेन्डम तथा जप्ती कार्यवाही उक्त दिनांक को ही की गई है, जबकि उक्त आरोपी भी स्थानीय निवासी होकर घटनास्थल के समीप स्थित वीडियो हॉल का संचालक है। उक्त आरोपी प्रदीप बैस के मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.02

में सामग्री का स्थान स्वयं का विडियो हॉल बताया गया है, जबकि जप्ती पत्रक प्र.पी.06 में जप्ती का स्थान आरोपी का घर दर्शाया गया है। जप्तशुदा सामग्री विशिष्ट वस्तु न होकर सामान्य उपयोग का ईंधन है, जिसका उल्लिखित मात्रा में सामान्य आधिपत्य संभव है। यह सही है कि साक्षी दिलीप पंचेश्वर अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में घटना के समय बैहर में एक ही पेट्रोल पंप होना व्यक्त किया है, तथापि प्रकरण में अभियुक्तगण से जप्ती संदिग्ध है, जिसके समर्थन हेतु रोजनामचा सान्हा ही प्रस्तुत नहीं है। प्रकरण में प्रथमदृष्टया चोरी होना ही प्रमाणित नहीं है और अभियुक्तगण से जप्ती भी संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक को सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के आधिपत्य से 300 लीटर पेट्रोल की चोरी की।

16— प्रकरण में अभियुक्तगण से जप्ती ही प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा मानव जीवन संकटापन्न करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। फलतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34, 286 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति जुमला 83 लीटर पेट्रोल सुपुर्दनामा पर दी गई है। उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित हो तथा प्रकरण में शेष जप्तशुदा संपत्ति दो चॉबी, एक ताला एवं पेट्रोल निकालने का हेंडल अपील अवधि मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

18. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19. आरोपी राकेश दिनांक 28.03.2004 से दिनांक 01.04.2004 तक, दिनांक 14.08.2014 से दिनांक 08.09.2014 तक, सरदार दिनांक 28.03.2004 से दिनांक 01.04.2004 तक दुर्गेश दिनांक 28.03.2004 से दिनांक 01.04.2004, दिनांक 05.08.2010 से दिनांक 09.08.2010, दिनांक 16.08.2014 से दिनांक 08.09.2014 तक तथा आरोपी प्रदीप बैस दिनांक 29.03.2004 से

दिनांक 01.04.2004 तक अभिरक्षा में रहे हैं, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / —

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु प्रतिलिपि)

सामान्य जानकारी  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु प्रतिलिपि)